राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

स्पष्टीकारक टिप्पणी

सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा निवारण (न्याय तक पहुंच और हानि पूर्ति) विधेयक, 2011

....

तर्काधार और मुख्य उपबंध
21 जुलाई, 2011

1. विधेयक के तर्काधार और प्रयोजन

सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा निवारण (न्याय तक पहुंच और हानिपूर्ति) विधेयक, 2011 राज्य के उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए और पहचान आधारित हिंसा के संदर्भ में सही राज्य शक्तियों की विभेदकारी प्रयोग के लिए है और इस प्रकार यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विधि के समान पहुंच को प्रत्यावर्तन करता है । पुनरावृत्त हुए हिंसा के ऐसे कार्य आधुनिक प्रजातंत्र के लिए एक त्रासदी है तथापि जब वे करते हैं तब प्रत्येक नागरिक, यह विषय नहीं कि वह संख्यात्मक रूप से दुर्बल या असुविधा प्राप्त है, का यह सांविधानिक अधिकार है, निष्पक्ष और ठीक राज्य से समान संरक्षण की आशा करें । राज्य अभिलेखों से साक्ष्य और जांच आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों ने सांस्थानिक पक्षपात और राज्य प्रशासन के पक्षपात कृत्यों, विधि प्रवर्तन और दांडिक न्याय मशीनरी को पुष्ट किया है जब राज्य की किसी इकाई में कोई अप्रबल समूह चाहे वह भाषा या धर्म या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर आधारित हो, आक्रमित होता क्योंकि उसकी पहचान उस राज्य की इकाई में हैं । यह ऐसे अप्रबल समूहों को पूर्ण और देश की विधि के उचित संरक्षण को पाने या न्याय तक बराबर पहुंच से रोकता है ।

विधेयक, राज्य को अतिरिक्त शक्तियों को देने के लिए नहीं है । यह इसलिए है क्योंकि प्रशासन के पास सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के निवारण और नियंत्रण के लिए पहले से ही काफी शक्तियां हैं जब उसे ऐसा करने के लिए चयन करता है और इस प्रकार अतिरिक्त किन्हीं शक्तियों को बढ़ाने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा मुख्य रूप से फैलती है क्योंकि प्रभारित लोक पदधारी इसे संरक्षित करने और रोकने के कार्य में या तो असफल हैं या पक्षपातपूर्ण रीति में कार्य करते हैं ।

गत 63 वर्षों से यह देश बहुधा राज्य की शक्ति के विभेदकारी प्रयोग का साक्षी रह चुका है । अप्रबल समूहों के विरूद्ध सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के अनेक घटनाएं, राज्य के उत्तरदायित्व के अधित्याग, पक्षपात और यहां तक कि स्थानीय प्रशासन की जटिलता, रोकने या नियंत्रण में असफलता या बुनियादी अनुतोष प्रदान करने के लिए साक्ष्य प्रदान करती हैं । यह जांच रिपोर्टो के न्यायिक आयोगों द्वारा स्थापित है और तथ्यान्वेषण रिपोर्टों द्वारा और अनुसमर्थित है । कुछ लोक कर्तव्यों का जानबूझकर किया गया अभित्याग सामूहिक हिंसा की घटनाओं में पुनरावृत्त

होता है, जिसके अंतर्गत इसमें उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, असम और अन्यत्र में बिहारियों को, 1984 में अनेक राज्यों में सिखों को, मुंबई और गुजरात में नेली भागलपुर, भिवंडी में मुस्लिमों को, कर्नाटक में तमिलों को और कंधमाल में क्रिश्चियनों और देश के विभिन्न भागों में दलितों और जनजातियों को लक्ष्यित किया जाना सम्मिलित है ।

देश की विद्यमान विधियों और राज्य की मशीनरी को अपेक्षाकृत निष्पक्ष रूप से कार्य करना होता है जब किसी राज्य में अप्रबल समूहों के विरूद्ध लक्ष्यित पहचान पर आधारित अपराधों को किया जाता हो किन्तु ऐसा अप्रबल समूहों के लिए नहीं है । सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा की प्रत्येक घटना के पश्चात् संस्थागत पक्षपात को बराबर करने, सभी के लिए बराबर देश की विधियों को लागू होने में राज्य द्वारा विभेद का सुधार करने, जिसमें हिंसा के निवारण के साथ ही यद हिंसा होती है, पक्षपात रहित निष्पक्ष् अन्वेषण और अभियोजन सम्मिलित है, तत्पश्चात् व्यापक अनुतोष, हानिपूर्ति और प्रतिकर का उपबंध किया जाता है, के उपायों के लिए राजनीतिक ओर लोक आहवाहन होता है । इसलिए, प्रस्तावित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा निवारण विधेयक, 2011 भारत संघ के प्रत्येक राज्य में अप्रबल समूह के लिए विधि के कार्यकरण में समानता को प्रत्यावर्तित करने के लिए आवश्यक है ।

यह विधेयक किसी राज्य में विशेषतया दुर्बल समूहों के विरूद्ध संस्थात्मक पक्षपात के सुधार का उपबंध करने, इस प्रकार सभी नागरिकों को ये विषय नहीं है कि कितनी उनकी छोटी संख्या है या जहां वे अधिवसित होने का चयन करते हैं जहां वे नागरिकों के रूप में अधिकारों के पूर्ण उपायों के उपभोग में बराबर भूमिका अदा करते हैं । यह भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में राज्य की इकाई में सभी अप्रबल समूहों के लिए और देश भर में सभी दलितों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध विधेयक है ।

2. विधेयक के मुख्य उपबंध

- सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा को परिभाषित करना : इस विधेयक के उपबंध तभी लागू होते हैं जब यह सिद्ध कर दिया जाए कि अपराध 'लक्ष्यित' प्रकृति का था अर्थात् यह जानबूझकर अप्रबल समूह के सदस्यों के विरुद्ध उनकी उस समूह की सदस्यता के कारण और न कि किसी अन्य कारण से कारित किया गया था । भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों को इस विधेयक के अधीन तब अपराध माना जाएगा जब वह उपरोक्त 'लक्ष्यित' की परिभाषा को पूरा करते हों । विधेयक विनिर्दिष्टतया 'संगठित' सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा को जन हिंसा के रूप में परिभाषित करता है जिसमें अनेक या जन हिंसा के अपराध सम्मिलित हैं जो व्यापक या क्रमबद्ध प्रकृति के हैं ।

- लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की अवहेलना : यह विधेयक अपराधों के न किए जाने और किए जाने दोनों को मान्यता देता है । बहुधा अप्रबल समूहों के विरुद्ध सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के होने, उसके फैलने और जारी रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोक पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं । ऐसे लोक सेवक, जो विधि के अधीन उनमें निहित प्राधिकार का प्रयोग करने की कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, और उससे वे

अपराधों को रोकने, लोक व्यवस्था के भंग की संरक्षा करने में असफल रहते हैं या कोई अपराध कारित करते हैं, किसी अपराधी पर पर्दा डालते हैं या विधि के अनुसार कार्रवाई करने में असफल रहते हैं या दुर्भावपूर्ण तथा पक्षपात से कार्रवाई करते हैं, शास्तिक परिणामों सहित कर्तव्य की अवहेलना के दोषी होंगे । यह विधायन का मर्म है, क्योंकि ऐसी जिम्मेदारी पक्षपात पूर्ण कार्यवाही के प्रति भयोपरापी के रूप में कार्य करेगी ।

- समादेश जिम्मेदारी का भंग : यह विधेयक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अन्य व्यक्तियों की कार्रवाईयों पर समादेश रखने की शक्ति वस्तुतः एक पावन कर्तव्य के रूप में मान्य ठहराया गया है और उन लोगों के लिए सदोषता होती है जो 'प्रभावी रूप से भारसाधक' हैं । प्रशासनिक प्रणालियों के अधिक्रमिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वास्तविकता यह है कि बहुधा प्रशासनिक या राजनैतिक समादेश की श्रृंखला में ये वही उच्च पदाधिकारी हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफलता के लिए जिम्मेदार हैं । फिर भी, निचले स्तर पर केवल कनिष्ठ अधिकारी ही है जिसकी अवहेलना स्पष्ट है । शासकीय अधिक्रम के अत्यंत शक्ति विहीन स्तरों पर ही नियत की जाने वाली जिम्मेदारी की प्रवृत्ति को समादेश उत्तरदायित्व के भंग के अपराध के माध्यम से निवारित किया जा रहा है । समादेश उत्तरदायित्व की श्रृंखला किसी ऐसे स्तर तक विस्तारित की जा सकती है जहां कार्रवाई करने या कार्रवाई न करने के लिए प्रभावी विनिश्चय किए जाते हैं ।

- लोक सेवकों के अभियोजन की मंजूरी : इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि यदि संबद्ध सरकार को किए गए आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध का कोई उत्तर नहीं मिलता है तो अभियोजित करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई समझी जाएगी । भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन कतिपय अपराधों के संबंध में, जब वे लोक सेवक द्वारा किए गए हों, तब मंजूरी प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट दी जा सकती है । यही कारण है कि ये अपराध लोक न्याय के विरुद्ध हैं । न्यायाधीश, जब उनका यह समाधान हो जाता है कि लोक न्याय में व्यवधान डाला गया है, तब वे स्थिति का मूल्यांकन करने और बिना मंजूरी के कार्रवाई करने के लिए अति सक्षम व्यक्ति होते हैं ।

- निगरानी और उत्तरदायित्व - राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण : यह विधेयक ऐसे तंत्रों को प्रवर्तन में लाने के लिए है जो प्रशासनिक और आपराधिक न्याय प्रणाली को कार्यशील बना सकते हैं क्योंकि उसे पक्षपात या पूर्वाग्रह या दुर्भावपूर्ण आशय से मुक्त होना चाहिए । निगरानी और शिकायत निवारण करना, राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण और तत्समान राज्य सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी । उनकी आज्ञा अधिदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लोक कृत्यकारी कार्य सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करें और यह भी कि लोक सेवक, जब हिंसा होती है तो पीड़ितों की पहुंच न्याय और हानिपूर्ति तक सुनिश्चित करें । यदि लोक सेवक विधि के अनुसार कार्रवाई करने में असफल रहते हैं तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण/राज्य सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण

का कार्य परिणामों की निगरानी करना, उन पर सलाह देना, उनका स्मरण करना, उनकी सिफारिश करना और चेतावनी देना है । किसी भी मामले में राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण या राज्य सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण न तो किसी लोक पदाधिकारी या संस्था की विद्यमान शक्तियों को ग्रहण करते हैं न ही विद्यमान विधि प्रवर्तन तंत्र को अधिक्रांत करते हैं । वे यह सुनिश्चित करने के लिए मात्र निगरानी करते हैं कि तंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करें ।

इस प्रकार, राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण/राज्य सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण शिकायतों की तभी निगरानी करेंगे, उनकी जांच करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे या स्वप्रेरणा से उनकी मांग करेंगे जब लोक पदाधारियों और सरकारों द्वारा निष्क्रियता या दुर्भावपूर्ण कार्रवाई अभिकथित की गई हो । राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकारियों का निगरानी तंत्र न्यायालय में लोक पदाधिकारियों के स्पष्ट उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए 'अनुसरण पत्र' भी उपलब्ध कराएंगे ।

राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण और राज्य सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण विधि के कार्यान्वयन और हिंसा की सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के निवारण की निगरानी करेंगे । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की भांति गत पांच वर्षों में अधिनियमित अधिकांश सभी आधुनिक विधानों में निगरानी और शिकायत निवारण के लिए अंतर्निमित उपबंध हैं ।

- <u>राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण के सदस्यों का द्विदलीय चयन</u> : विधेयक प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) निचले सदन में विपक्ष का नेता, ऊपरी सदन में विपक्ष का नेता, गृह मंत्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष से मिलकर बनने वाले राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण के सदस्यों (अध्यक्ष सहित) के लिए एक द्विदलीय चयन समिति का प्रस्ताव करता है ।

- <u>राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण की संरचना</u> : विधेयक राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण के कुल सात सदस्यों का प्रस्ताव करता हे जिनमें से चार अप्रबल 'समूह' के होंगे, अर्थात् चार सदस्य भारत संघ के किसी राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के या भारत संघ के किसी राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए । यह सुनिश्चित करने की प्रत्याशा की जाती है कि ऐसे व्यक्ति, जिनको किसी राज्य में अप्रभुत्व संपन्न समूह का होने का अनुभव है (भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर) और ऐसे व्यक्ति, जिनमें ऐतिहासिक रूप से दुर्बल (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) राज्य के सांस्थानिक पक्षपात के अपने अनुभव और बोध को राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण में अपनी भूमिका के संबंध में काम में लाते हैं और इस

प्रकार प्रभावी सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराते हैं । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण के अधिक से अधिक दो सदस्य सेवानिवृत्त लोक सेवक हो सकेंगे ।

- सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के अपराध : भारतीय दंड संहिता में सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के दौरान हुए अधिकतर अपराध अंतर्विष्ट हैं । उन्हें इस विधेयक की अनुसूची से उपाबद्ध किया गया है और वे इस विधेयक के अधीन अपराध तब समझे जाएंगे जब वे "किसी समूह की सदस्यता के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जानबूझकर निदेश दिया गया", की सीमा को पूरा करते हैं । इन अपराधों को वही शास्तियां लागू होंगी जो भारतीय दंड संहिता में अधिकथित हैं ।

- वर्तमान में, सरकार हमारी कानूनी पुस्तकों में या तो संशोधन विधेयकों के रूप में या नए विधेयकों के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए हिंसा के दो अन्य रूपों पर भी विचार कर रही है । इनके अंतर्गत लैंगिक हमले (भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्संग की सीमित परिभाषा से परे) और उत्पीड़न के क्रूर रूप आते हैं । अतः, इन दोनों अपराधों को इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है । इसके अतिरिक्त, यह विधेयक घृणा प्रचार के अपराध को परिभाषित करता है क्योंकि यदि घृणा प्रचार को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है तो इससे हिंसा को रोकने की संभावनाओं में वृद्धि होगी ।

- पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार : यह विधेयक आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित के अधिकारों को, सभी प्रक्रमों पर साधारण सूचना का अधिकार, अपने सभी कथनों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार, से लेकर न्यायालय में सुने जाने का अधिकार, संरक्षा का अधिकार, अपील का अधिकार और राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण/राज्य सांप्रदायिक समन्वय न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण के पास शिकायत फाइल करने का अधिकार तक के अधिकारों को न्याय के लिए उनके संघर्ष में कतिपय उपबंधों के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए है यदि और जब वे अपने लिए न्याय और हानिपूर्ति की संरक्षा और उसे प्राप्त करने के लिए तंत्र के असफल हो जाने से व्यथित हो जाते हैं । ये उपबंध किसी राज्य में अप्रबल समूह के पीड़ितों के मूलभूत अधिकारों के वंचित किए जाने के दस्तावेजकृत अनुभवों पर आधारित हैं । भारतीय दंड विधि इस धारणा पर आधारित है कि राज्य सदैव पीड़ित का पक्ष लेता है, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध होता है और अतः, मुख्य रूप से अभियुक्त व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षा किए जाने की आवश्यकता है ।राज्य अन्वेषण अभियोजन करता है और साक्ष्य और अपील भी पेश करता है । पीड़ित को इस प्रक्रिया में सीमित अधिकार प्राप्त हैं । अप्रबल समूह के विरुद्ध लक्ष्यित हिंसा की यर्थार्थता यह है कि, राज्य, इन मामले में, अभियुक्त के पक्ष में होता है तथा सक्रिय रूप से पीड़ित का विरोधी होता है । यह विधेयक इस पक्षपात को सुधारने के लिए है ।

- सभी 'प्रभावित व्यक्तियों' चाहे वे अप्रबल समूह के हों या नहीं, के लिए अनुतोष और हानिपूर्ति जिसके अंतर्गत प्रतिकर भी है : यह विधेयक मान्यता देता है कि अनुतोष हानिपूर्ति और प्रतिकर के लिए विद्यमान विधि के

अधीन किसी भारतीय नागरिक के लिए कोइ कानूनी सन्नियम और अधिकार नहीं है । इस प्रकार, सभी ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को, चाहे वे किसी राज्य में अप्रबल समूह के हों या नहीं, व्यापक हानिपूर्ति, जिसके अंतर्गत प्रतिकर भी है, के न्याय्य अधिकार प्रदान किए गए हैं यदि उनको इस विधेयक के अधीन अभिलिखित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के किसी अपराध के परिणामस्वरूप कोई अपहानि होती है ।

विधेयक बचाव, अनुतोष, पुनर्वास, प्रतिकर और प्रत्यास्थापना का उपबंध करने के लिए राज्य पर विधिक कर्तव्यों को सौंपता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को उससे बेहतर स्थिति में वापस लाया जा सके जो उनके हिंसा से प्रभावित होने से पूर्व विद्यमान थी । यह इस अनुभव पर आधारित होता है कि कुछ राज्य सरकारें राहत शिविरों की स्थापना करने से इंकार करने या इन्हें समय-पूर्व बलपूर्वक भंग करने से मानवीय सेवाएं भी उपलब्ध कराने में असफल रहती हैं । विधेयक, आंतरिक रूप से विस्थापित ऐसे व्यक्तियों के, जो लक्ष्यित हिंसा के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, अधिकारों को मान्यता और संरक्षण भी प्रदान करता है ।

- प्रतिकर - सभी 'प्रभावित व्यक्तियों' के लिए राष्ट्रीय मानक : यह विधेयक अपेक्षा करता है कि जब हिंसा होती है और नागरिक अपने जीवन, आजीविका और घरों को खो देते हें, तब प्रत्येक ऐसे विनाश की उसी रीति में ही पहचान की जानी चाहिए । प्रत्येक जीवन हानि की न्यायसंगत और एकरुपता की दृष्टि से प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए । खेद है कि यह मामला ऐसा नहीं रहा है और उदारता के विभिन्न मानकों के साथ विभिन्न समूहों के नागरिकों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में सरकार की मनमानी और चयनात्मकता दोनों ही रही हैं । प्रतिकर, पूर्तकार या उदारदान का मामला नहीं होना चाहिए, परंतु प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एकल एकसमान मानक वाला न्यायिक अधिकार होना चाहिए । यह विधेयक यह उपबंध करता हे कि प्रतिकर, घटना की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त किया जाएगा और अनुसूची के अनुसार में जिसे प्रत्येक तीन वर्ष में पुनरीक्षित किया जाएगा । मृत्यु के लिए कोई प्रतिकर 15 लाख रुपए से कम नहीं होगा । बलात्संग के लिए प्रतिकर 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा ।

- परिसंघीय सिद्धांत : इस विधेयक में हमारी सरकार परिसंघीय प्रकृति का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण न करने पर ध्यान दिया गया है । राष्ट्रीय सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति प्राधिकरण की सलाहें और सिफारिशें, राज्य सरकार पर आबद्धकर नहीं है । कानून और व्यवस्था संपूर्णतः राज्य सरकार के पास रहती है । अन्वेषण, अभियोजन और विचारण की सभी शक्तियां और कर्तव्य राज्य सरकारों के पास है ।

3. किसी राज्य में कौन अप्रबल समूह हैं ?

- विधेयक, भारत संघ के किसी राज्य में धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में अप्रबल 'समूहों' को परिभाषित करता है । अप्रबल समूहों के उदाहरण जो हाल ही के वर्षों में

विभिन्न राज्यों में आक्रमण के अधीन हुए हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों में उनकी पहचान थी और जहां राज्य मशीनरी ने प्रतिकूल कार्रवाई की है जिसमें कर्नाटक में तमिल (भाषायी अल्पसंख्यक के रूप में), महाराष्ट्र में बिहारी (भाषायी अल्पसंख्यक के रूप में), दिल्ली में सिरन (धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में), गुजरात में मुस्लिम (धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में), उड़ीसा में क्रिश्चियन (धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में) और देश के विभिन्न स्थानों में दलित और जनजातियां सम्मिलित होंगी ।

- मुख्य सिद्धांत यह है कि किसी राज्य में इनमें से प्रत्येक अप्रबल समूह संस्थागत पक्षपात के लिए दुर्बल है और इस प्रकार स्थानीय स्तर पर विधि कार्य के मार्ग में समानता प्रत्यावर्तित करने के लिए विशेष समर्थन की आवश्यकता है ।

- "अल्पसंख्यक" जो भाषाई समूह और धार्मिक समूह दोनों को निर्दिष्ट करता है, राज्यों के स्तर पर अस्थायी प्रवर्ग है । इस प्रकार सभी धर्मों के बिहारी, महाराष्ट्र या असम में भाषायी अल्पसंख्यक का गठन करते हैं - जहां वे अपनी प्रादेशिक/भाषायी पहचान पर आधारित आक्रमित होने के लिए निर्बल हैं किन्तु वे बिहार में प्रबल है । उसी प्रकार तमिल बोलने वाले, कर्नाटक में भाषाई अल्पसंख्यक हैं, किंतु तमिलनाडु में नहीं हैं । पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में, पंजाब में, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में और जम्मू-कश्मीर में किसी क्षेत्र से संबद्ध रखने वाले हिन्दू संख्यात्मक रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक हैं । इस संबंध में सांविधानिक व्यवस्था यह अपेक्षा करती है कि जम्मू - कश्मीर राज्य इस विधान के सुसंगत पहलुओं को उपयुक्त रूप से उस राज्य में अमूतपूर्व विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुकूल बनाए ।

4. क्या सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के कर्ता का कोई विशिष्ट समूह है ?

- विधेयक, सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के कर्ता होने के लिए किसी विशिष्ट समूह को वर्गीकृत नहीं करता है या धारणा नहीं बनाता है ।

- हिंसा का कर्ता, किसी क्षेत्र, भाषा, जाति या धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो सकता है ।

- यह विधेयक केवल यह सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध है कि जब आक्रमण के अधीन कोई समूह उस राज्य में अप्रबल है तब राज्य मशीनरी के अधिकारियों को पक्षपाती होने के लिए अनुज्ञात न किया जाए जिससे कि उनकी निष्पक्षता भंग न हो या उनके द्वारा ली गई शपथ में विधिक कर्तव्य में परिवर्तन न हो ।

5. सांविधानिक आज्ञा

सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के निवारण और नियंत्रण के मुद्दे पर विधान बनाने की स्पष्ट आज्ञा विद्यमान है । सार्थक और तर्कयुक्त विधायी उपाय, राज्य की शक्ति के विभेदकारी प्रयोग का सुधार करने के लिए अपना सामर्थ्य भारत के संविधान से लेते हैं ।

- अनुच्छेद 14 यह कथन करता है कि 'राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा' ।

- अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इस प्रकार कोई राज्य अपने सभी नागरिकों को हिंसा के किसी प्रकार से उनके विरूद्ध संरक्षण करने के लिए कर्तव्याधीन है ।

- अनुच्छेद 15(1) यह अधिकथित करता है कि 'राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।' इस प्रकार संविधान मान्यता देता है कि अनुच्छेद 15(1) में परिभाषित दुर्बल समूहों को राज्य द्वारा विभेद किए जाने से संरक्षण देने की अपेक्षा हो सकेगी ।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सामाजिक वास्तविकता और अनुभव के उत्तर में दुर्बल समूहों के लिए विशेष विधायी उपबंधों की भारतीय विधिक प्रणाली में उदाहरण हैं ।

सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अधीन प्रविष्टि 2क और 97 केन्द्रीय सरकार को जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए विधियां अधिनियमित करने के लिए सशक्त करती हैं ।